POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/ प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 25.02.2023

1-थाना सेक्टर 63, नोएडा पुलिस द्वारा 02 लुटेरे अभियुक्त गिफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर, 04 मोबाइल फोन, 01 मोटरसाइकिल तथा 01 अवैध चाकू बरामद।

दिनांक 24/02/2023 को थाना सेक्टर-63 पुलिस द्वारा 02 लुटेरे अभियुक्तों 1- अशरफ पुत्र असलम निवासी गली नं0-3 निकट साक्षी पब्लिक स्कूल छिजारसी, थाना सेक्टर 63, नोएडा 2. सलमान पुत्र नसरुद्दीन निवासी मौ0 जमालपुर, थाना पटवारी नंगला, जिला अलीगढ वर्तमान पता सुरेन्द्र का मकान छिजारसी, थाना सेक्टर 63, नोएडा को थाना क्षेत्र के बन्द पडे रिलायंस पेट्रोल पम्प के पास सर्विस रोड सेक्टर-63 से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर, 04 मोबाइल फोन, 01 मोटरसाइकिल स्प्लेंडर (सीजशुदा) तथा 01 अवैध चाकू बरामद किया गया है। अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया की उनके द्वारा दिल्ली, नोएडा/एनसीआर क्षेत्र में मोबाइल फोन लूट की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है।

अभियुक्तों का विवरणः

1.अशरफ पुत्र असलम निवासी गली नं0-3 निकट साक्षी पब्लिक स्कूल छिजारसी, थाना सेक्टर-63, नोएडा

2. सलमान पुत्र नसरुद्दीन निवासी मौ0 जमालपुर थाना पटवारी नंगला जिला अलीगढ हाल पता सुरेन्द्र का मकान छिजारसी थाना सेक्टर-63 नोएडा।

पंजीकृत अभियोग का विवरणः

मु0अ0सं0 95/23 धारा 414 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट व 4/25 आर्म्स एक्ट, थाना सेक्टर-63 गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण-

1. 01 अवैध तमंचा .315 बोर

2. 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर

3. 04 मोबाइल फोन

4. 01 मोटरसाइकिल रजि0 नम्बर डीएल 7 एससीएन 4369

5. 01 अवैध चाकू।

2-थाना दादरी पुलिस द्वारा 03 वांछित लुटेरे अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से लूटे गये 02 मोबाइल फोन, 14,100 रूपये नगद, 02 अवैध तमंचे मय 02 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस मय घटना मे प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल यामाहा एफजेड (सीजशुदा) बरामद।

दिनाँक 24.02.2023 को थाना दादरी पुलिस द्वारा 03 वांछित लुटेरे अभियुक्त 1.आदेश पुत्र धर्मपाल निवासी ग्राम फरीदपुर, थाना सिकन्द्रबाद, जनपद बुलन्दशहर 2.मनीष पुत्र धर्मसिंह उर्फ पप्पू निवासी ग्राम फरीदपुर, थाना सिकन्द्रबाद, जनपद बुलन्दशहर 3.हिम्मत पुत्र केसर सिंह निवासी ग्राम फरीदपुर, थाना सिकन्द्रबाद, जनपद बुलन्दशहर को कोट की नहर से ग्राम लुहारली को जाने वाले रजवाहा के पास सिचाई विभाग की खण्डर पडी बिल्डिंग के पास से बाद मुठभेड गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से लूटे गये 02 मोबाइल फोन, 14,100 रूपये नगद, 02 अवैध तमंचे मय 02 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस मय घटना मे प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल यामाहा एफजेड नं0 डीएल 3 एसबीएस 5092 (सीजशुदा) बरामद हुए है है। सभी अभियुक्त शातिर किस्म के लुटेरे है जिनके द्वारा दिनांक 14/15.02.2023 की रात्रि मे वादी व उसके साथी व दो अन्य व्यकितयों के साथ मारपीट कर लूट की घटना को अंजाम दिया गया था जिसके सम्बन्ध मे थाना दादरी पर मु0अ0सं0 92/2023 धारा 394 भादवि में पंजीकृत किया गया था जिसमे उपरोक्त अभियुक्त वांछित चल रहे था।

अभियुक्तों का विवरणः

1.आदेश पुत्र धर्मपाल निवासी ग्राम फरीदपुर, थाना सिकन्द्रबाद, जनपद बुलन्दशहर।

2.मनीष पुत्र धर्मसिंह उर्फ पप्पू निवासी ग्राम फरीदपुर, थाना सिकन्द्रबाद, जनपद बुलन्दशहर।

3.हिम्मत पुत्र केसर सिंह निवासी ग्राम फरीदपुर, थाना सिकन्द्रबाद, जनपद बुलन्दशहर।

पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास का विवरणः

<u>अभियुक्त आदेश</u>

1.मु0अ0सं0 92/2023 धारा 394/411/120बी भादवि थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर।

2.मु0अ0सं0 109/2023 धारा 307/34 भादवि थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर।

3.मु0अ0सं0 110/2023 धारा 25/27 आयुध अधि0 थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर।

<u>अभियुक्त मनीष</u>

1.मु0अ0सं0 92/2023 धारा 394/411/120बी भादवि थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर।

2.मु0अ0सं0 109/2023 धारा 307/34 भादवि थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर।

3.मु0अ0सं0 111/2023 धारा 25/27 आयुध अधि0 थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर।

4.मु0अ0सं0 215/2021 धारा 323/354क/504 भादवि व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट व थाना सिकन्द्रबाद जनपद जनपद बुलन्दशहर।

अभियुक्त हिम्मत

1.मु0अ0सं0 92/2023 धारा 394/411/120बी भादवि थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर।

2.मु0अ0सं0 109/2023 धारा 307/34 भादवि थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरणः

1.अभियुक्त आदेश के कब्जे से लूटा गया 01 सैमसंग मोबाइल फोन व 4,000 रूपये नगद मय 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस .315 बोर।

2.अभियुक्त मनीष के कब्जे से लूटा गया 01 वीवो वाई-20 जी मोबाइल फोन व 3,100 रूपये नगद मय 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस .315 बोर।

3.अभियुक्त हिम्मत के कब्जे से लूटे गये 7,000/- रूपये नगद।

4.घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल यामाहा एफजेड नं0 डीएल 3 एसबीएस 5092 (सीजशुदा)

3-थाना बिसरख पुलिस द्वारा लूट करने वाला 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 25.02.2023 को थाना बिसरख पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 1009/2021 धारा 392/411 भादवि में वांछित अभियुक्त अमन पुत्र कमलेश बाबू निवासी ग्राम पहाडपुर, थाना साहर, जिला औरैया को थाना क्षेत्र के पैरामाउण्ट के सामने मैन रोड गोलचक्कर के पास से गिरफ्तार किया गया है। जिसके सम्बन्ध में थाना बिसरख पर मु0अ0सं0 1009/2021 धारा 392/411 भादवि पंजीकृत है। अभियुक्त, अपने साथी मनीश कुमार के साथ मिलकर दिनांक 29.11.2021 को स्टेलर जीवन सोसायटी के पीछे से मुकदमा वादी का फोन छीन कर भाग गया था अभियुक्त तभी से फरार चल रहा था ।

अभियुक्त का विवरणः

अमन पुत्र कमलेश बाबू निवासी ग्राम पहाडपुर, थाना साहर, जिला औरैया।

अभियोग का विवरणः

मु0अ0सं0 1009/2021 धारा 392/411 भादवि थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर।

4-थाना सेक्टर-63, नोएडा पुलिस द्वारा चोरी के एप्पल कम्पनी सिस्टम (कम्प्यूटर आल इन वन) के साथ 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से एप्पल कम्पनी सिस्टम (कम्प्यूटर आल इन वन) कीमत लगभग 4,50,000 रूपये बरामद।

दिनांक 25/02/23 को थाना सेक्टर-63, नोएडा पुलिस द्वारा चोरी के एप्पल कम्पनी सिस्टम (कम्प्यूटर आल इन वन) के साथ 01 वांछित अभियुक्त दीपक सिंह पुत्र अरुण सिंह निवासी ग्राम जुहीली, थाना पंचपगडी, जिला मोतिहारी, बिहार वर्तमान पता राधा कुंज, थाना नन्दग्राम, जिला गाजियाबाद को थाना क्षेत्र के इलैक्ट्रॉनिक मैट्रो स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से एप्पल कम्पनी सिस्टम (कम्प्यूटर आल इन वन) कीमत लगभग 4,50,000

रूपये बरामद किया गया है जिसके सम्बन्ध में थाना सेक्टर-63 पर मु0अ0सं0 1233/21 धारा 381/507/411 भादवि पंजीकृत है।

वादी मुकदमा द्वारा थाना फेस-3, गौतमबुद्धनगर पर एप्पल कम्पनी सिस्टम (कम्प्यूटर आल इन वन) चोरी होने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 1233/2021 धारा 381/507 भादवि पंजीकृत कराया गया था जिसमें अभियुक्त वांछित अपराधी था।

अभियुक्त का विवरणः

दीपक सिंह पुत्र अरुण सिंह निवासी ग्राम जुहीली, थाना पंचपगडी, जिला मोतिहारी, बिहार वर्तमान पता राधा कुंज, थाना नन्दग्राम, जिला गाजियाबाद।

आपराधिक इतिहास का विवरणः

1.मु0अ0सं0 1233/21 धारा 381/507/411 भादवि थाना फेस-3, गौतमबुद्धनगर।

2.मु0अ0सं0 96/2023 धारा 504/506 भादवि थाना सेक्टर-63, गौतमबुद्धनगर।

5-थाना बादलपुर पुलिस द्वारा पशु चोरी करने वाले अन्तर्जनपदीय गैंग के 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की गई 03 भैंसे, 5,000 रुपये नगद व 01 अवैध चाकू बरामद।

दिनांक 25/02/2023 को थाना बादलपुर पुलिस द्वारा पशु चोरी करने वाले अन्तर्जनपदीय गैंग के 02 वांछित अभियुक्त 1.अंग्रेज पुत्र रामचरन निवासी ग्राम डूंडा खेड़ा, थाना कांधला, जिला शामली वर्तमान पता चांद मस्जिद के पास, पूजा कॉलोनी, थाना ट्रोनिका, जनपद गाजियाबाद 2.प्रवीन पुत्र पीतम निवासी ग्राम खेरवा जलालपुर, थाना सरधना, जनपद मेरठ को ग्राम अच्छैजा ईंट भट्टे के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की गई 03 भैंसे, 5,000 रुपये नगद व 01 अवैध चाकू बरामद हुए है।

घटना का विवरणः

दिनाँक 25/01/2023 को ग्राम दुजाना खेडा तथा दिनाँक 02/02/2023 को ग्राम हाथीपुर खेडा से भैस चोरी की घटना के सम्बन्ध में थाना बादलपुर पर पूर्व में पंजीकृत मुकदमों मु0अ0सं0 028/2023 धारा 380/411 भादवि तथा मु0अ0सं0 038/2023 धारा 380/411 भादवि में दोनों अभियुक्त वांछित चल रहे थे।

अभियुक्तों का विवरणः

1.अंग्रेज पुत्र रामचरन निवासी ग्राम डूंडा खेड़ा, थाना कांधला, जिला शामली वर्तमान पता चांद मस्जिद के पास, पूजा कॉलोनी, थाना ट्रोनिका, जनपद गाजियाबाद।

2.प्रवीन पुत्र पीतम निवासी ग्राम खेरवा जलालपुर, थाना सरधना, जनपद मेरठ।

आपराधिक इतिहास का विवरणः

<u>अभियुक्त अंग्रेज</u>

1.मु0अ0सं0 028/2023 धारा 380/411 भादवि थाना बादलपुर, गौतमबुद्धनगर।

2.मु0अ0सं0 038/2023 धारा 380/411 भादवि थाना बादलपुर, गौतमबुद्धनगर।

3.मु0अ0सं0 067/2023 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बादलपुर, गौतमबुद्धनगर।

4.मु0अ0सं0 011/2023 धारा 457/380 भादवि थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।

5.मु0अ0सं0 1114/2022 धारा 379/411 भादवि थाना सिकन्द्राबाद, जनपद बुलन्दशहर।

<u>अभियुक्त प्रवीन</u>

1.मु0अ0सं0 028/2023 धारा 380/411 भादवि थाना बादलपुर, गौतमबुद्धनगर।

2.मु0अ0सं0 038/2023 धारा 380/411 भादवि थाना बादलपुर, गौतमबुद्धनगर।

3.मु0अ0सं0 011/2023 धारा 457/380 भादवि थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।

4.मु0अ0सं0 1114/2022 धारा 379/411 भादवि थाना सिकन्द्राबाद, जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी का विवरणः

1.चोरी की गई 03 भैंसे

2.01 अवैध चाकू

3.5,000 रुपये नगद सम्बन्धित मु0अ0सं0 011/2023 धारा 457/380 भादवि थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।

6-थाना सेक्टर-20 नोएडा पुलिस द्वारा, विदेशों से तस्करी कर लाये गए एवं एनसीआर क्षेत्र के अवैध मोबाइल फोन के पार्टस बदल कर विक्रय करने वाली फैक्ट्री का भन्डाफोड करते हुए दो करोड़ कीमत के 350 अवैध मोबाइल फोन, 01 लैपटॉप व रिपेयरिंग करने के उपकरणों सहित एक अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 25.02.2023 को थाना सेक्टर-20 नोएडा पुलिस द्वारा विदेशों से विभिन्न कम्पनीयों के मोबाइल फोनों का आयात एवं रिपेयरिंग कर एक्स्ट्रा कवर ब्रान्ड की पेकिंग करने वाली कम्पनी इनफोर्सल टेक्नोलॉजी प्राईवेट लि0 का भन्डाफोड करते हुए अभियुक्त दिवाकर शर्मा पुत्र राकेश कुमार शर्मा निवासी कृष्णानगर कॉलोनी बरोला बाईपास रोड, थाना बन्नादेवी, जनपद अलीगढ़ वर्तमान पता फ्लैट सं0 2120, टावर सी-7, जी अवैन्यू, गौर सिटी, थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर को बी-21, सेक्टर-8, नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से 350 अवैध मोबाइल फोन, 01 लैपटॉप व रिपेयरिंग करने के उपकरण आदि बरामद हुए है। जिसके सम्बन्ध में थाना सेक्टर-20 नोएडा पर मु0अ0सं0 0082/2023 धारा 420/414 भादवि पंजीकृत किया गया।

अपराध करने का तरीका व प्रमुख तथ्यः

1.आरोपियों द्वारा इनफोर्सल टेक्नोलॉजी प्राईवेट लि0 पता बी-21, सेक्टर-8, नोएडा में अवैध मोबाइलों का आयात एवं रिपेयरिंग कर एक्स्ट्रा कवर ब्रान्ड की पेकिंग के द्वारा विक्रय करने वाला कार्य करीब पांच वर्षो से किया जा रहा है। इससे पूर्व यह कम्पनी एचसीएल, डेल आदि कम्पनी के अधिकृत सर्विस सेन्टर के तौर पर लैपटॉप रिपेयरिंग का कार्य करते थे। उक्त कम्पनी के मालिक सौमित्र गुप्ता निवासी दिल्ली, डायरेक्टर अरूण भा दास नि0 ग्रेटर नोएडा है।

2.आरोपियों द्वारा विदेशों से विभिन्न कम्पनियों के मोबाइल फोनों को आयात कर कम्पनी की डीटेल व एमआरपी प्रिन्ट किए बिना ही अपनी कम्पनी इनफोर्सल टेक्नोलॉजी प्राईवेट लि0 का ब्रान्ड नेम एक्सट्रा कवर की पेकिंग में बिना बिल के विक्रय करना।

3.आरोपियों द्वारा प्रयोग किये हुए अवैध मोबाइल फोन को एनसीआर में संदिग्ध व्यक्तियों से बिना आईडी व बिल के खरीदना व पार्टस बदलकर ग्राहकों को भ्रमित कर विक्रय करना।

4.आरोपियों द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों से खरीदे गये मोबाइल फोन के पार्टस बदलकर असैम्बलिंग करना।

5.आरोपियों द्वारा विक्रय किये गये नये मोबाइल फोन की सर्विस की गारन्टी ग्राहकों को न देना।

6.आरोपियों द्वारा विक्रय किय गये विभिन्न कम्पनियों के नये मोबाइल की सर्विस मोबाइल कम्पनियों के अधिकृत सर्विस सेन्टर(ओथोराइजिड सर्विस सेन्टर) पर नहीं होती है, बल्कि ग्राहकों को इन्हीं के सर्विस सेन्टर पर आना पडता है।

7.आरोपियों द्वारा एनसीआर में भ्रमण कर मोबाइल फोन खरीदने वाले ग्राहकों को भ्रमित कर आधी कीमत में नया फोन वापस कर अपने ब्रान्ड के एक्सट्रा कवर के बाक्स में रखकर देना।

8.पुलिस की सूचना पर पहुंची जीएसटी/कस्टम टीम मौके पर पहुंची है प्रारंभिक जाच से करीब 05 करोड की जीएसटी चोरी भी प्रकाश में आयी है।

9.इनके पास से एक रजिस्टर बरामद हआ है जिसमें एनसीआर से अवैध मोबाइल ख़रीदे जाने वालों का केवल नाम अंकित है। संभवतः यह सभी मोबाइल कही न कहीं लूट/चोरी के हैं। क्योंकि इन मोबाइलों के वास्तविक स्वामी की डीटेल नहीं अंकित है और न ही इनके पास कोई खरीद आदि की रसीद, जिससे की वास्तविक स्वामी का पता किया जा सके। साथ ही साथ इनके द्वारा अलग-अलग व्यक्तियों से ऑनलाईन फोन ख़रीदे जाते है। जिसका कोई भी विवरण इनके पास मौजूद नही है।

10.इनके द्वारा जो भी कर्मचारी कम्पनी में कार्य करने वाले होते है उनको केवल 20-25 दिनों के लिए ही काम पर रखते थे। जिससे उनको इसके बारे में कोई जानकारी न होने पाए।

11.इनके द्वारा अलग-अलग फोन के पार्टस निकालकर एक नया फोन तैयार किया जाता था, जिसकी कीमत बाजारू कीमत से 50-60 प्रतिशत कम होती थी और इसका कोई भी बिल ग्राहक को नहीं दिया जाता था । साथ ही साथ उस फोन की वास्तविक पेकिंग भी गायब रहती थी । जैसे किसी फोन की बाजारू कीमत एक लाख रूपये है तो इनके द्वारा इसको 35-40 हजार रूपये में बेचा जाता था।

अभियुक्त का विवरणः

दिवाकर शर्मा पुत्र राकेश कुमार शर्मा निवासी कृष्णानगर कॉलोनी बरोला बाईपास रोड, थाना बन्नादेवी, जनपद अलीगढ़ वर्तमान पता फ्लैट सं0 2120, टावर सी-7, जी अवैन्यू, गौर सिटी, थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर।

पंजीकृत अभियोग का विवरणः

मु0अ0सं0 0082/2023 धारा 420/414 भादवि थाना सेक्टर-20, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरणः

1.350 अवैध मोबाइल फोन विभिन्न कम्पनी (कीमत करीब 02 करोड़)

2.01 लैपटॉप

3.मोबाइल फोन रिपेयरिंग करने के उपकरण

7-थाना जारचा पुलिस द्वारा 02 चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किये 1,50,000(एक लाख पचास हजार) रुपये व 02 अवैध तमंचे मय 02 जिन्दा कारतूस बरामद।

दिनांक 25.02.2023 को थाना जारचा पुलिस द्वारा 02 चोर 1.इमरान पुत्र रहीसुद्दीन निवासी एनटीपीसी रोड, कस्बा व थाना जारचा, गौतमबुद्धनगर व 2.इकरार पुत्र गुलजार निवासी एनटीपीसी रोड, कस्बा व थाना जारचा, गौतमबुद्धनगर को थाना क्षेत्र के ऊँचा अमीरपुर आईटीआई स्कूल के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त इमरान के पास से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर व 82,000 रूपये व अभियुक्त इकरार के पास से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर व 68,000/- रूपये बरामद हुए है। जिसके संबन्ध में थाना जारचा पर मु0अ0सं0 39/23 व 40/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व मु0अ0सं0 163/2022 धारा 380/457/411 भादवि पंजीकृत है। अभियुक्तों द्वारा दिनांक 09/09/22 को ग्राम गुलावटी खुर्द में एक बन्द पडे मकान से चोरी की गई थी।

अभियुक्तों का विवरणः

1.इमरान पुत्र रहीसुद्दीन निवासी एनटीपीसी रोड, कस्बा व थाना जारचा, गौतमबुद्धनगर।

2.इकरार पुत्र गुलजार निवासी एनटीपीसी रोड, कस्बा व थाना जारचा, गौतमबुद्धनगर।

पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास का विवरणः

अभियुक्त इमरान

1.मु0अ0सं0 163/22 धारा 380/457/411 भादवि थाना जारचा, गौतमबुद्धनगर।

2.मु0अ0सं0 39/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जारचा, गौतमबुद्धनगर।

3.मु0अ0सं0 529/2020 धारा 380/411 थाना सेक्टर-24 गौतमबुद्धनगर।

4.मु0अ0सं0 602/2020 धारा 307/34/482 थाना सेक्टर-24 गौतमबुद्धनगर।

5.मु0अ0सं0 603/2020 धारा 25/27 आर्मस एक्ट थाना सेक्टर-24 गौतमबुद्धनगर।

6.मु0अ0सं0 196/2017 धारा 379/411 थाना जारचा, गौतमबुद्धनगर।

7.मु0अ0सं0 214/2017 धारा 379/411 थाना जारचा, गौतमबुद्धनगर।

8.मु0अ0सं0 219/2017 धारा 380/411/457 थाना जारचा, गौतमबुद्धनगर।

9.मु0अ0सं0 225/2017 धारा 25 आर्मस एक्ट थाना जारचा, गौतमबुद्धनगर।

10.मु0अ0सं0 241/17 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना जारचा, गौतमबुद्धनगर।

11.मु0अ0सं0 04/22 धारा 380/411 थाना बादलपुर, गौतमबुद्धनगर।

12.मु0अ0सं0 18/22 धारा 380/411/457 थाना बादलपुर, गौतमबुद्धनगर।

13.मु0अ0सं0 105/18 धारा 307 भादवि थाना मसूरी, गाजियाबाद।

14.मु0अ0सं0 808/19 धारा 307 भादवि थाना लोनी, गाजियाबाद।

15.मु0अ0सं0 809/19 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना लोनी, गाजियाबाद।

<u>अभियुक्त इकरार</u>

1.मु0अ0सं0 163/22 धारा 380/457/411 भादवि थाना जारचा, गौतमबुद्धनगर।

2.मु0अ0सं0 40/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जारचा, गौतमबुद्धनगर।

3.मु0अ0सं0 529/2020 धारा 380/411 थाना सेक्टर-24 गौतमबुद्धनगर।

4.मु0अ0सं0 602/2020 धारा 307/34/482 थाना सेक्टर-24 गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरणः

1.अभियुक्त इमरान के पास से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर व 82,000 रूपये।

2.अभियुक्त इकरार के पास से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर व 68,000/- रूपये।

#थाना बादलपुर क्षेत्रांतर्गत पीआरवी-1866 के कर्मियों द्वारा, ऑटो खराब होने के कारण अत्यधिक परेशान खड़े स्कूली छात्रों को समय से परीक्षा केंद्र पहुंचाकर परीक्षा दिलाई गई।

<u>डीसीपी ट्रैफिक श्री अनिल कुमार यादव द्वारा उक्त सराहनीय कार्य करने वाले पीआरवी कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।</u>

दिनांक 24/02/2023 को थाना बादलपुर क्षेत्र के अंतर्गत पीआरवी 1866 अपनी लोकेशन एनटीपीसी कट पर खड़ी थी, तभी पीआरवी पर नियुक्त कर्मियों द्वारा देखा गया की एक ऑटो के पास कुछ स्कूल जाने वाले बच्चे अत्यधिक परेशान होकर खड़े थे। पीआरवी कर्मियों द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर उक्त बच्चो के पास जाकर उनसे परेशान होने का कारण पूछा गया, जिसपर बच्चो द्वारा बताया गया की हमारा ऑटो खराब हो गया है तथा हमारा कक्षा-10 का डीएवी कॉलेज में 09.30 बजे से पेपर है यदि हम समय पर न पहुंचे तो पेपर छूट जायेगा। पीआरवी कर्मियों के द्वारा तत्काल जनपद के कंट्रोल रूम से फील्ड इवेंट बनवाया गया तथा अन्य कोई साधन न होने के कारण बच्चो को पीआरवी में बैठाकर उनके परीक्षा केंद्र स्कूल डीएवी कॉलेज जोकि लगभग 12 किलोमीटर दूर था, समय से 05 मिनट पहले छोड़ दिया गया जिस कारण सभी बच्चे समय से अपनी परीक्षा दे पाए। इस सराहनीय कार्य के लिए स्थानीय व्यक्तियों, छात्रों व छात्रों के परिजनों द्वारा पीआरवी पुलिस कर्मियों का आभार व्यक्त किया गया तथा यह खबर सोशल मीडिया पर भी काफी प्रसारित है और लोग कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस के इस कार्य की सराहना कर रहे है।

डीसीपी ट्रैफिक गौतमबुद्धनगर श्री अनिल कुमार यादव द्वारा उक्त सराहनीय कार्य करने वाले पीआरवी कर्मियों की सराहना करते हुए उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया, साथ ही सभी पीआरवी कर्मियों को भविष्य में भी इस प्रकार के सराहनीय कार्य करने हेतु प्रेरित किया गया।